

रिपोर्ट पटवारी हत्का / आई०एल०आर०  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गाढ़लाकला महीदयजी

प्राथी का नाम जमाबंदी

संवत् 2075-78 में संवहन से सरवता देवी पुत्री विरजुराम हो गया जबकि आधार कार्ड, पहचान-पत्र परिवार राशन कार्ड में प्राथी का नाम सरपति देवी पुत्री विरजुराम है जो कि सही करना उचित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

11/11/2021  
29/10/2021

क्रमांक - राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंया की जाती है / नहीं की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

26/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

29/10/2021

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबंदी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	गाढ़लाकला	2075-78	170	सरवता देवी पुत्री विरजुराम जाति जाट	सरपति देवी पुत्री विरजुराम जाति जाट

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 558-59

प्रतिदिशि :-

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्राथी / प्राथीया

दिनांक :- 29/10/2021



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी